रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 20, 1970/ ज्येष्ठ 30, 1892

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20, 1970/JYAISTHA 30, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 6th June 1970

G.S.R. 939.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Regulation of Seniority) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Regulation of Seniority) Second Amendment Rules, 1970.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 20 जून, 1970

सा०का०नि० 953.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 31 वां संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम 1960, में,

(क) प्रथम अनुसूची में, क्रम सं० 119 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"120. एसबेसटास सिमेंट	उत्पाद	एसबेसटास अन्तर्वस्तु का 452.30 रु० प्रति टन और सिमेंट अन्तर्वस्तु का 31.30 रु० प्रति टन

(ख) द्वितीय अनुसूची में, क्रम सं० 138 और उससे संबंधित प्रविष्टि लुप्त कर दी जाएंगी।

[सं० 36/एफ० सं० 138/3/69-डी० बी० के०]

वि० रा० सोनालकर, उप सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 1st April 1970

G.S.R. 954.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 1776, dated the 30th November, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Amendment IV) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964, for each of the entries in column 7 against serial numbers 10 and 11, the following shall be substituted, namely:—

S. No

10. "100 per cent. by promotion, failing which by transfer. The promotion and transfer will be adhered to on zonal basis:—

Provided that transfer from one zone to another will be permissible only on the written request of the official concerned so transferred and on his agreeing to give his consent in writing that he has no objection to being treated as junior to all the Senior Mechanics already in the zone on the date of his joining the new zone.

The zones would be as under:—

Northern Zone.—Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Uttar Pradesh, Chandigarh, Himachal Pradesh and Delhi.

Western Zone.—Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh Goa, Daman Diu.

Southern Zone.—Tamil Nadu, Kerala, Mysore, Andhra Pradesh, Pondicherry, Andaman and Nicobar Islands and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.

Eastern Zone.—West Bengal, Assam, Bihar, Orissa, Nagaland, Manipur, Tripura and NEFA."

S. No.

11. "100 per cent. by direct recruitment, failing which by transfer. The seniority and transfer will be adhered to on zonal basis:—

Provided that transfer from one zone to another will be permissible only on the written request of the official concerned so transferred and on his agreeing to give his consent in writing that he has no objection to being treated as junior to all the Mechanics already in the zone on the date of his joining the new zone.

The zones would be as under:—

Northern Zone.—Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Uttar Pradesh, Chandigarh, Himachal Pradesh and Delhi.

Western Zone.—Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Daman and Diu

Southern Zone.—Tamil Nadu, Kerala, Mysore, Andhra Pradesh, Pondicherry Andaman and Nicobar Islands and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.

Eastern Zone.—West Bengal, Bihar, Orissa, Assam, Nagaland, Manipur Tripura and NEFA."

[No. 16/6/69-BD.]

C. B. GIRIDHAR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 अप्रेल, 1970

जी०एस०आर० 954.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1776 तारीख 30 नवम्बर 1964 में प्रकाशित आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1 (1) इन नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 10 तथा 11 के सम्मुख कालम 7 के अन्तर्गत प्रत्येक प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये।

क्रम संख्या

10. "100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा पदोन्नति तथा स्थानान्तरण क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा :—

बशर्ते कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण की अनुमति स्थानान्तरण किये जाने वाले सम्बन्धित अधिकारी की लिखित प्रार्थना पर तथा उसके लिखित रूप में अपनी यह सहमति देने पर कि उसे सभी सीनियर मैकेनिकों, जो पहले ही उस क्षेत्र में हैं, से जूनियर बनाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, दी जाएगी।

क्षेत्र निम्न प्रकार होंगे।

उत्तरी क्षेत्र

पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली।

पश्चिमी क्षेत्र

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोआ दमन तथा दियू।

दक्षिणी क्षेत्र

तमिलनाडु, केरल, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, पाण्डीचेरी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप मिनीकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह।

पूर्वी क्षेत्र

पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा नेफा।

क्रम संख्या

11. "100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, इसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा, वरीयता तथा स्थानान्तरण क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा :—

बशर्ते कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण की अनुमति स्थानान्तरण किए जाने वाले सम्बन्धित अधिकारी की लिखित प्रार्थना पर तथा उसके लिखित रूप में अपनी यह सहमति देने पर कि उसे सभी मैकेनिकों, जो पहले ही उस क्षेत्र में हैं, से जूनियर बनाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, दी जायेगी।

उत्तरी क्षेत्र

पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली।

पश्चिमी क्षेत्र

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोआ, दमन तथा दियू

दक्षिणी क्षेत्र

तमिलनाडु, केरल, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, पाण्डीचेरी, अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मिनीकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह

पूर्वी क्षेत्र

पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा नेफा

[संख्या 16/6/69—बी (डी)]

सी० बी० गिरिधर, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970